संख्या:45/2020/1957/12-2-2020-14/2016टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2020

विषय: फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या: 30/2020/1760/12-2-2020-14/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके प्रस्तर-5.2 में निम्नवत व्यवस्था की गयी है:-

''कृषकों के खेत से पराली संग्रह करने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था मनरेगा अथवा वित्त आयोग द्वारा की जायेगी तथा कृषकों के खेत से गौशाला स्थल तक पराली का ढुलान पशुपालन विभाग द्वारा किया जायेगा।''

2. इस क्रम में पशुधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 2119/सैंतीस-2-2020-5(53)/2018 टी0सी0-2 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि पशुधन विभाग के पास कृषकों के खेत से गौशाला स्थल तक पराली के ढुलान हेतु कोई योजना/बजट की व्यवस्था नहीं है जबकि पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 1076/33-1-2020-3003/2017 दिनांक 02 जून, 2020 के प्रस्तर-2 में इस प्रकार की व्यवस्था पूर्व से की जा चुकी है।

3. अत: उक्त शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2020 के प्रस्तर-5.2 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

''कृषकों के खेत से गौशाला स्थल तक पराली का ढुलान पंचायत राज विभाग के शासनादेश संख्या: 02/2020/1076/33-1-2020-3003/2017 दिनांक 02 जून, 2020 के प्रस्तर-2 के अन्तर्गत किया जायेगा।''

4. शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2020 के शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

संलग्नक: पंचायती राज विभाग के शासनादेश
दिनांक 02 जून, 2020 की प्रति।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:45/2020/1957/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 1076/33-1-2020-3003/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक: 02 जून, 2020

विषय: प्रदेश में शासकीय धनराशि से स्थापित एवं संचालित गो-संरक्षण केन्द्रों पर राज्य वित्त आयोग की धनराशि व्यय करने की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अध्याय-4 की धारा-15 उपधारा (चार) में पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के कृत्यों में शामिल है। गो-संरक्षण केन्द्रों पर संरक्षित गोवंश की देख-भाल हेतु रखी गयी मानवशक्ति, भूसा तैयार करने, उसके परिवहन एवं भण्डारण पर आने वाले व्यय, भण्डारण क्षमता सृजित करने हेतु अवस्थापनापरक कार्यो की लागत तथा इन कार्यो में लगने वाले श्रमिकों के पारिश्रमिक आदि पर व्यय की आवश्यकता पडती है। ज्ञातव्य है कि पशुओं के चारे में भूसा एवं पुआल एवं विशेष अवयव है, जिसके गो-संरक्षण केन्द्रों में ससमय उपलब्धता नितान्त आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि फसल की कटाई के समय भूसे का विक्रय मूल्य बहुत कम होता है। वहीं सीजन समाप्त हो जाने के उपरांत भूसे की उपलब्धता कम हो जाती है तथा दर अत्यधिक बढ जाती है। अत: गो-संरक्षण केन्द्रों पर संरक्षित गोवंश की वर्ष-भर की भूसे की आवश्यकतानुसार सीजन में भण्डार किया जाना श्रेयस्कर होता है।

2- जिन खेतों पर हार्वेस्टर से फसल की कटाई होती है, वहां फसल के डंठल छोड दिये जाते हैं। जिससे एक ओर उसका उपयोग नहीं हो पाता है तथा दूसरी ओर अग्रिम खेती की तैयारी पर अधिक श्रम एवं धन का भी व्यय होता है। डंठल जलाना प्रतिबंधित है क्योंकि इसके जलने से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। इस अनुप्रयोजित कृषि अवशेष को कृषकों की अनुमति से स्थानीय स्तर पर काटकर भूसा बनाया जा सकता है, जो नि:शुल्क उपलब्ध होगा। खेत में अनुप्रयोजित कृषि अवशेष को काटने के उपरांत भूसा में परिवर्तित करने में थ्रेसर (भूसा बनाने वाली मशीन) किराये पर लेने तथा खेत से भूसा भण्डारण स्थल तक पहुॅचाए जाने पर होने वाला मानव श्रम एवं परिवहन/लागत पर आने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुमन्य है। गो-संरक्षण केन्द्रों पर संरक्षित किए गए पशुओं के लिए भूसे एवं चारे के साथ-साथ उनकी देखभाल करने वाले गो-सेवक श्रमिकों की भी अपरिहार्यता है। अत: गो-संरक्षण केन्द्रों पर संरक्षित पशुओं की संख्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार नियोजित किये जाने वाले गो-सेवक श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने की महती आवश्यकता है।

3- शासन द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा पृथक-पृथक योजनाओं में (उदाहरणत: पशुधन, नगर विकास, ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं में) गौशाला से संबंधित कार्यो के लिए धनराशि की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यवस्था की गयी है। उक्त के अतिरिक्त मंडी परिषद द्वारा भी गौ-संरक्षण से संबंधित कतिपय कार्यो में व्यय किया जाता है। उपरोक्त स्रोतों से व्यय के बाद भी गौ-संरक्षण के कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो राज्य वित्त आयोग से उक्त कार्य कराया जा सकता है।

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य वित्त आयोग की धनराशि के अन्तर्गत शासकीय धनराशि से स्थापित/संचालित गो-संरक्षण के केन्द्रों के लिए निम्न कार्यो को सम्पादित कराया जा सकता है:-

(i) इच्छुक कृषकों के खेतों पर अनुप्रयोजित फसल अवशेष को काट कर भूसे में परिवर्तित किये जाने हेतु मशीनरी एवं मानव श्रम पर व्यय।

(ii) गो-संरक्षण केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार भूसे को भण्डार गृह तक ले जाने के लिए परिवहन लागत एवं उसमें निहित मानव श्रम पर व्यय।

(iii) भूसा संग्रह हेतु निर्मित किये जाने वाले परम्परागत भूसे के कूप या खोप या भक्कू या बुर्जी आदि, चाहे जिस भी नाम जाना जाए, को बनाने में लगने वाली सामग्री यथा बांस/पुआल/रस्सी आदि पर आने वाला व्यय एवं उसको बनाने हेतु भवन श्रम पर आने वाला व्यय।

(iv) गो-संरक्षण केन्द्रों पर संरक्षित पशुओं की संख्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार नियोजित किये जाने वाले गो-सेवक श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान।

भवदीय,
ह0/-
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 1076 (1)/33-1-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, राजस्व/राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, वित्त, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, नियोजन, पशुधन, राजस्व, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/विशेष सचिव, कृषि उत्पादन, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण (प्रकोष्ठ), उत्तर प्रदेश।
9- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
10- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/-
(अवधेश कुमार खरे)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in